

न्यूज़ टुडे

सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए SEZ सुधारों को अधिसूचित किया

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) (संशोधन) नियम, 2025 प्रकाशित किए।

मुख्य नियमों पर एक नजर

- सरकार ने सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के विनिर्माण के लिए समर्पित SEZ के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता को कम कर दिया है। इसके तहत अब SEZ के लिए आवश्यक सन्निहित भू-खंड 10 हेक्टेयर कर दिया है, जो पहले 50 हेक्टेयर था।
- निःशुल्क आधार पर प्राप्त और आपूर्ति की गई वस्तुओं के मूल्य को शुद्ध विदेशी मुद्रा (NFE) गणना में शामिल किया जाएगा। साथ ही, सेमीकंडक्टर के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विनिर्माण क्षेत्र में SEZ इकाइयों को लागू शुल्कों के भुगतान के बाद घरेलू टैरिफ क्षेत्र में भी घरेलू आपूर्ति करने की अनुमति दी गई है।
- NFE से तात्पर्य किसी कंपनी की विदेशी मुद्रा आय (मुख्य रूप से निर्यात) और उसके विदेशी मुद्रा व्यय (मुख्य रूप से आयात) के बीच के अंतर से है।

SEZ क्या है?

- परिभाषा: SEZ भौगोलिक रूप से चिह्नित एक शुल्क-मुक्त एन्क्लेव होता है। इसे व्यापार संबंधी गतिविधियों के संचालन और शुल्क एवं प्रशुल्क के उद्देश्यों से विदेशी क्षेत्र माना जाता है।
- SEZ नीति की घोषणा 2000 में की गई थी, और SEZ अधिनियम, 2005 में पारित किया गया था।
- SEZ योजना के उद्देश्य: अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन, आदि।
- SEZs के लिए बाबा कल्याणी समिति की सिफारिशें: समिति ने भारत में SEZs का नाम बदलकर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एन्क्लेव (3Es) करने की सिफारिश की थी। साथ ही, निर्यात में वृद्धि करने और सेवाओं व विनिर्माण के लिए अलग नियम बनाने की भी अनुशंसा की थी।

शुरू की गई पहलें

सेमीकंडक्टर के लिए:

- सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम: इसमें चार योजनाएं शामिल हैं, जैसे- भारत में सेमीकंडक्टर फैक्स की स्थापना के लिए योजना, डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना आदि।
- मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण आदि।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए:

- इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भरता के एक भाग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना।
- संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना: क्लस्टर आधारित विनिर्माण के लिए।
- उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं आदि।

एक हालिया अध्ययन के अनुसार महासागरीय अम्लीकरण 'ग्रहीय सहन-सीमा' (Planetary boundary) को पार कर गया है

अध्ययन में यह चेतावनी दी गई है कि महासागरीय अम्लीकरण के 'ग्रहीय सहन-सीमा' को पार करने से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र गंभीर खतरे में पड़ गया है।

महासागरीय अम्लीकरण वास्तव में लंबी अवधि में समुद्र के pH मान में कमी को कहते हैं। इसका मुख्य कारण महासागरों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का अवशोषण है।

महासागरीय अम्लीकरण को "ग्लोबल वार्मिंग की जुड़वाँ बुराई" (Evil twin of global warming) और "एक अन्य कार्बन डाइऑक्साइड समस्या" कहा गया है।

महासागरीय अम्लीकरण की प्रक्रिया

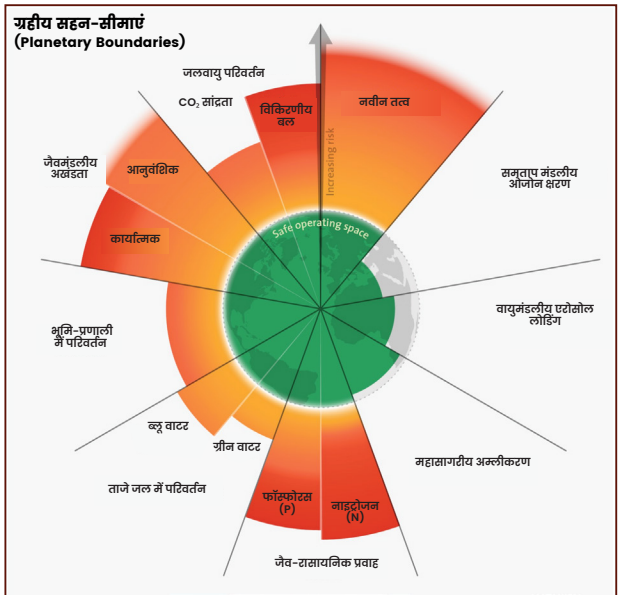
- वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) समुद्र में घुल जाती है, जिससे जलीय कार्बन डाइऑक्साइड {CO₂ (aq)} बनता है।
- यह कार्बन डाइऑक्साइड जल (H₂O) से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल (H₂CO₃) बनाती है।
- इसके बाद यह कार्बोनिक अम्ल विघटित होकर बाइकार्बोनेट (HCO₃⁻) और हाइड्रोजन आयन (H⁺) बनाता है।
- हाइड्रोजन आयनों की वृद्धि महासागर को और अधिक अम्लीय बनाती है।

महासागरीय अम्लीकरण के कारण

- महासागर मानवीय गतिविधियों से उत्सर्जित लगभग 25% वार्षिक CO₂ को अवशोषित करते हैं।
- महासागरों में प्राकृतिक तरीके से CO₂ उत्सर्जन, जैसे- महासागरों में ज्वालामुखी उद्गार, महासागरीय धाराओं का परिसंचरण, महासागरीय तलछट का विखंडन, आदि।

महासागरीय अम्लीकरण का प्रभाव

- अम्लीय जल कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचनाओं को तोड़कर घोल देता है या उन्हें गला देता है। इससे कोरल, शेलफिश, प्लैक्टन (प्लवक) जैसे जीव प्रभावित होते हैं। जाहिर है इससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे मात्स्यिकी गतिविधि और तटीय संरक्षण पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।
- महासागरीय अम्लीकरण फाइटोप्लैक्टन को नुकसान पहुंचाता है, जिससे महासागर की उत्पादकता घटती है।
- महासागरीय अम्लीकरण फाइटोप्लैक्टन द्वारा डायमिथाइल सल्फाइड (DMS) के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिससे बादलों के निर्माण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
- समुद्री प्लवक द्वारा उत्पादित डाइमिथाइल सल्फाइड (DMS), वायुमंडल में ऑक्सीकृत होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिससे क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लेई (CCN) का निर्माण होता है। ये CCN जल की बूंदों के लिए सीड का काम करते हैं, और अंततः बादल निर्माण में योगदान करते हैं।



ग्रहीय सहन-सीमाएं (Planetary Boundaries) क्या हैं?

- ग्रहीय सीमाएं वास्तव में वैज्ञानिक रूप से स्थापित वे सीमाएं हैं जो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणाली के भीतर मानव-जाति के अस्तित्व के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं। इनमें जलवायु, जल, जैव विविधता, आदि शामिल हैं।
- ये सीमाएं वे दहलीज हैं जिनके पार होने पर मानवीय गतिविधियां पृथ्वी को अस्थिर कर सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप ग्रह की वह क्षमता प्रभावित होती है, जो उस पर जीवन, विशेषकर मानव जीवन, को बनाए रखने में सहायक होती है।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने भारत में गिग वर्कर्स पर एक अध्ययन प्रकाशित किया

श्रम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, भारत में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या वर्ष 2047 तक लगभग 6.2 करोड़ तक पहुँचने की संभावना है।

गिग वर्कर्स वास्तव में नियोक्ता-कर्मचारी के पारंपरिक संबंधों या रोजगार शर्तों के दायरे से बाहर रहकर कार्य करने वाले कार्यबल होते हैं, जैसे कि जोमैटो व स्विगी के डिलीवरी एजेंट, आदि।

भारत में गिग इकोनॉमी की स्थिति

भारत में रोजगार के नए अवसरों में गिग इकोनॉमी का योगदान 56% है।

तेजी से विस्तार: तकनीकी प्रगति और श्रम बाजार की प्राथमिकताओं में बदलाव की वजह से गिग इकोनॉमी का तेजी से विस्तार हो रहा है।

पहले यह राइड शेयरिंग और फूड डिलीवरी तक सीमित थी, लेकिन अब इसका विस्तार स्वास्थ्य देखभाल सेवा, शिक्षा, क्रिएटिव सेवाएं और कंसल्टिंग सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों तक हो चुका है।

नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2020-21 में 77 लाख गिग वर्कर्स कार्यरत थे।

अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 2.3 करोड़ (23 मिलियन) तक पहुँच जाएगी।

गिग वर्कर्स के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ

कार्य-दशाएं:

गिग वर्कर्स के रोजगार की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है, और न ही उन्हें स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल पाता है।

उन्हें लंबी अवधि तक कार्य करना पड़ता है और कार्य का कोई निश्चित समय भी नहीं होता है। इन वजहों से अक्सर उनमें तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसी समस्याएं काफी बढ़ गई थीं।

गिग वर्कर्स की शिकायतों के समाधान के लिए उचित तंत्र का अभाव: अगर वे शोषणकारी कार्यप्रणालियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो प्लेटफॉर्म द्वारा अक्सर उनकी ID ब्लॉक कर दी जाती है, जिससे उनका रोजगार अचानक छिन जाता है।

गिग वर्कर्स, विशेषकर महिलाओं में डिजिटल साक्षरता की कमी है।

पुरुष-महिला गिग वर्कर्स में भेदभाव:

युवाओं, खासकर महिलाओं को अपेक्षाकृत कम पारिश्रमिक मिलता है।

महिलाओं को नौकरी के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ भार उठाना पड़ता है।

गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम

न्यायपूर्ण श्रम (कार्य) पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए:

गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करना चाहिए।

उन्हें निरंतर कौशल विकास का अवसर प्रदान करना चाहिए।

न्यूनतम पारिश्रमिक और कार्य के निर्धारित व संतुलित घंटे सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

गिग वर्कर्स की शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

गिग वर्कर्स के पंजीकरण के लिए एक वैधानिक राष्ट्रीय रजिस्ट्रार की स्थापना करनी चाहिए।

NHAI ने सड़क क्षेत्र के लिए पहली बार एसेट मोनेटाइजेशन यानी परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति जारी की

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की यह एसेट मोनेटाइजेशन रणनीति “परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30” के अनुरूप तैयार की गई है। NHAI के इस कदम से विकास को नई गति मिलेगी।

रणनीति के मुख्य प्रावधान

उद्देश्य: इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों से पैसा जुटाना और भारत में अवसंरचना विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) में वृद्धि करना है।

रणनीति के तीन मुख्य स्तंभ: राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों से अधिक से अधिक पैसा जुटाना; प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना; और बाजार विकास।

पूँजी जुटाने के तीन तरीके: टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (ToT), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) और सिक्क्योरिटाइजेशन मॉडल।

टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (ToT): इस मॉडल के तहत रियायतधारी (Concessionaire) एकमुश्त राशि सरकार को अदा करता है, जिसके बदले उसे चयनित सड़कों का संचालन और रखरखाव करने का अधिकार मिल जाता है। रियायत की निर्धारित अवधि के दौरान वह इन सड़कों पर टोल शुल्क की वसूली करता है और मुनाफा कमाता है।

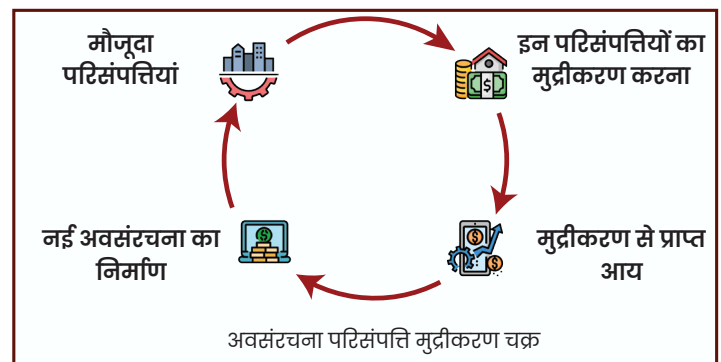
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT): यह एक तरीके से म्यूचुअल फंड के समान है। इसमें आम जनता या संस्थागत निवेशक अवसंरचना परियोजनाओं में सीधे निवेश कर सकते हैं।

InvIT से होने वाली आय, जैसे- टोल कलेक्शन, रेंट, ब्याज अथवा डिविडेंड निवेशकों को नियमित रूप से वितरित की जाती है।

भारत में InvIT की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। इसका विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी/ SEBI) द्वारा किया जाता है।

सिक्क्योरिटाइजेशन मॉडल: सिक्क्योरिटाइजेशन या प्रतिभूतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ प्रकार की परिसंपत्तियों को एक पूल (समूह) में रखा जाता है। फिर इस पूल को “ब्याज देने वाली प्रतिभूतियों” में बदल दिया जाता है।

निवेशकों को इन प्रतिभूतियों से नियमित रूप से ब्याज और मूलधन का भुगतान किया जाता है।



एसेट मोनेटाइजेशन या परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बारे में

परिभाषा: यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी प्रकार से अनुपयोगी या निष्क्रिय पड़ी परिसंपत्तियों को सीमित अवधि के लिए उपयोग में लाया जाता है या फिर कम उपयोगी अथवा गैर-रणनीतिक परिसंपत्तियों का निपटारा किया जाता है, ताकि उनसे अर्जित पूँजी को अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों या परियोजनाओं में पुनर्निवेश कर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

आवश्यकता: सरकार द्वारा अवसंरचना विकास हेतु किए गए निवेश से अधिकतम मूल्य प्राप्त करना, तथा निजी क्षेत्र की दक्षता एवं उत्पादकता का उपयोग करना।

2012 में राजकोषीय समेकन के लिए तैयार किए गए विजय केलकर समिति के रोडमैप में सबसे प्रमुख सुझाव के रूप में परिसंपत्ति मुद्रीकरण को प्रस्तुत किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरोपी को स्वेच्छा से नार्को-एनालिसिस टेस्ट कराने का अधिकार है, लेकिन यह कोर्ट की अनुमति पर निर्भर करता है

सुप्रीम कोर्ट ने अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में यह निर्णय दिया कि कोई आरोपी व्यक्ति स्वेच्छा से नार्को-एनालिसिस टेस्ट करा सकता है, लेकिन यह केवल मुकदमे के दौरान उचित समय में ही संभव है।

- नार्को-एनालिसिस टेस्ट में व्यक्ति की मानसिक झिझक को कम करने के लिए प्रायः सोडियम पेंथथल जैसे बर्बिट्यूरेट्स या अन्य रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिससे व्यक्ति अधिक सहज होकर जानकारी और भावनाएं व्यक्त करने लगता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें पुलिस को एक लापता महिला से जुड़े दहेज उत्पीड़न के मामले में सभी आरोपियों की नार्को-एनालिसिस टेस्ट कराने की अनुमति दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रमुख बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पटना हाई कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों का नार्को-एनालिसिस टेस्ट कराने का आदेश देना गलत था। शीर्ष न्यायालय के अनुसार आरोपियों की सहमति के बिना नार्को एनालिसिस टेस्ट या अनैच्छिक टेस्ट (Involuntary tests) संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करता है:
 - ⊕ अनुच्छेद 20(3): किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
 - ⊕ अनुच्छेद 21: यह अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में अपने पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नार्को टेस्ट जैसे परीक्षण इस अधिकार का हनन करते हैं।
- विनोभाई बनाम केरल राज्य और मनोज कुमार सोनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सहमति से कराए गए नार्को-एनालिसिस टेस्ट की रिपोर्ट को सीधे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल इस रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि अन्य साक्ष्यों द्वारा उस रिपोर्ट की पुष्टि न की जाए।
- आरोपी अपने पक्ष में साक्ष्य पेश करने के लिए स्वेच्छा से नार्को एनालिसिस टेस्ट करा सकता है। हालांकि, इस मामले में उसे निरपेक्ष (पूर्ण) या “अपरिहार्य अधिकार” (Absolute/indefeasible right) प्राप्त नहीं है।

सौर तूफानों के कारण स्टारलिंग के उपग्रह आसमान से गिर रहे हैं

वर्ष 2020 से 2024 के बीच स्टारलिंग के 523 उपग्रह नष्ट हो गए। गौरतलब है कि ये वर्ष सौर चक्र के चरम वर्ष थे।

- सौर चक्र लगभग 11 वर्षों का एक चक्र होता है। इस दौरान सूर्य की सतह पर विभिन्न गतिविधियां घटती-बढ़ती रहती हैं।
 - ⊕ यह चक्र सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन (CME) और “अंतरिक्ष के मौसम” को प्रभावित करता है।
- सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोटों के कारण उत्पन्न भू-चुंबकीय तूफान वायुमंडलीय खिंचाव को बढ़ा देते हैं। इस बड़े हुए खिंचाव के कारण कई उपग्रह अपेक्षा से अधिक तेजी से पृथ्वी की ओर लौट आते हैं और नष्ट हो जाते हैं।
 - ⊕ यही कारण है कि स्टारलिंग के कई उपग्रह गिर चुके हैं, जिससे वायुमंडलीय प्रदूषण और अंतरिक्ष मलबे की चिंता बढ़ गई है।

अंतरिक्ष मलबा और इसकी स्थिति

- अंतरिक्ष मलबा उन सभी मानव-निर्मित वस्तुओं को कहा जाता है जो अब निष्क्रिय हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रही हैं या वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर रही हैं।
 - ⊕ ESA की स्पेस एनवायरमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार, अंतरिक्ष में 1 से.मी. से बड़े आकार के मलबे की संख्या 1.2 मिलियन से अधिक है। इनका आकार इतना बढ़ा होता है कि ये किसी विनाशकारी क्षति का कारण बन सकते हैं।
- मुख्य स्रोत:
 - ⊕ अंतरिक्ष मलबे का अधिकांश हिस्सा दो प्रमुख कारणों से उत्पन्न होता है:
 - ◆ ऑन-ऑर्बिट ब्रेक-अप: जब कोई उपग्रह या रॉकेट का हिस्सा अपने आप पृथ्वी की कक्षा में फट जाता है।
 - ◆ ऑन-ऑर्बिट टकराव: जब दो उपग्रह, या उपग्रह और मलबे का कोई अन्य टुकड़ा आपस में टकरा जाते हैं।
- संभावित परिणाम: यह उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकता है, संचार और नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर सकता है, तथा अंतरिक्ष यानियों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है।
 - ⊕ इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष मलबा केसलर सिंड्रोम की घटना को उत्पन्न कर सकता है। केसलर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंतरिक्ष मलबा बार-बार आपस में टकराकर अधिक मलबा उत्पन्न करता है। इसकी वजह से कुछ कक्षाएं पूरी तरह से अनुपयोगी हो जाती हैं।

अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए उठाए गए कदम

वैश्विक स्तर पर

- इंटर-एजेंसी डेब्रिस को ऑर्डिनेशन कमेटी (IADC): इसे 1993 में स्थापित किया गया था।
 - जीरो डेब्रिस चार्टर: इस पर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, आदि 12 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत में
- डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन (DFSM) 2030
 - इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन्स मैनेजमेंट (IS4OM)
 - प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस (NETRA)

अन्य सुर्खियां

सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल (SEforALL)

NTPC ने स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के रोडमैप के लिए SEforALL के साथ साझेदारी की है।

सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल (SEforALL) के बारे में:

- इसे वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून द्वारा शुरू किया गया था।
- यह एक स्वतंत्र संगठन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (UNOPS) द्वारा होस्ट किया जाता है।
- वैश्विक उद्देश्य: उभरते और विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने (एनर्जी ट्रांजीशन) की प्रगति को तेज करना।

UNOPS के बारे में:

- यह अब एक स्वतंत्र और स्व-वित्तपोषित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है।
 - ⊕ यह 1994 तक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) का अंग था।
- मुख्यालय: कोपेनहेगन (डेनमार्क) में।
- उद्देश्य:
 - ⊕ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और उसके साझेदारों को परियोजना सेवाएं प्रदान करना।
 - ⊕ मानवता संबंधी और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करना।
 - ⊕ सतत विकास तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर विशेष ध्यान केंद्रित करना।



निकेल

वैज्ञानिकों ने निकेल खनन की एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक में कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और मौजूदा तकनीक की तुलना में प्रत्यक्ष रूप से 84% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करती है।

निकेल के बारे में

- इसकी परमाणु संख्या (एटॉमिक नंबर) 28 है।
- गुण: चमकदार, चांदी जैसी सफेद धातु जो कठोर और तन्य (ductile) है तथा चुंबकीय गुण प्रदर्शित कर सकता है। इसमें लौह (ferrous) और अलौह (non-ferrous), दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं।
- मुख्य खनिज: पेंटलैंडाइट (Pentlandite), गार्निराइट (garnierite) और निकेलिफेरस लिमोनाइट (nickeliferous limonite) आदि।
- उपयोग:
 - ⊕ जंगरोधी होने के कारण अन्य धातुओं पर परत चढ़ाने में;
 - ⊕ रिचार्जबल बैटरी, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में किया जाता है।



भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India: QCI)

भारतीय गुणवत्ता परिषद ने विश्व प्रत्यायन दिवस 2025 (World Accreditation Day 2025) मनाया।

विश्व प्रत्यायन दिवस 2025 के बारे में

- यह दिवस 9 जून को मनाया गया।
 - यह इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्क्रेडिटेशन को-ऑपरेशन (ILAC) और इंटरनेशनल एक्क्रेडिटेशन फोरम (IAF) द्वारा प्रत्यायन के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल है।
 - इस वर्ष की थीम थी: 'प्रत्यायन: लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) को सशक्त बनाना'।
- भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में
- स्थापना: इस परिषद की स्थापना 1996 में एक राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्था के रूप में की गई।
 - प्रत्यायन (Accreditation) एक स्वतंत्र सत्यापन प्रक्रिया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि परीक्षण और प्रमाणीकरण संस्थाएं मान्यता प्राप्त मानकों को पूरा करती हैं।
 - QCI एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से एक स्वतंत्र स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है।
 - इसे भारत सरकार तथा तीन प्रमुख उद्योग संघों - एसोचैम, CII, और फिकी (FICCI) का समर्थन प्राप्त है।
 - नोडल विभाग: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)।
 - QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग जगत द्वारा सरकार को की गई सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।



टार्डिग्रेड्स

भारतीय अंतरिक्ष यानी शुभांशु शुक्ला टार्डिग्रेड्स को एक प्रयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर ले जाएंगे।

टार्डिग्रेड्स (जलीय भालू या मांस पिगलेट) के बारे में

- विशिष्टता: यह आधा मिलीमीटर लंबा आठ पैरों वाला खंडित सूक्ष्म जीव है।
- अत्यंत कठोर: क्रियोबायोलॉजिस्ट, क्रशिंग प्रेशर और विकिरण के माध्यम से चरम उष्ण और शीत तापमान के स्तर को सहन कर सकता है। यह जीव दुनिया भर में पाया जाता है।
- क्रियोबायोलॉजिस्ट प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचने के लिए अत्यधिक निष्क्रियता की स्थिति है। क्रियोबायोटिक अवस्था में, सभी चयापचय प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। इससे प्रजनन, विकास और मरम्मत में बाधा आती है।
- इसके दो वर्गों की पहचान की गई है: यूटार्डिग्रेडा और हेटेरोटार्डिग्रेडा (इसमें कुछ समुद्री प्रजातियां शामिल हैं)।



एरिट्रिया

चीन में एरिट्रियाओ की मांग के कारण पाकिस्तान में गन्धे की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

- एरिट्रियाओ के बारे में: यह एक जिलेटिन है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है:
 - यह एक पारंपरिक चीनी दवा है। इसे गन्धे की खाल को उबालकर और गाढ़ा करके बनाया जाता है।
 - इसके लाभ: थकान दूर करने, प्रतिरक्षा बढ़ाने, ट्यूमर हटाने और एनीमिया में लाभकारी है।



स्टेलरेटर

जर्मनी में वेडेलस्टीन 7-X स्टेलरेटर के वैज्ञानिकों ने 30 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक प्लाज्मा को गर्म करके एक रिकॉर्ड फ्यूजन प्रदर्शन हासिल किया है।

स्टेलरेटर के बारे में

- परिभाषा: स्टेलरेटर ऐसे फ्यूजन रिएक्टर होते हैं जो प्लाज्मा को एक डोनट के आकार की नली (टोरस) में बंद करने के लिए चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करते हैं। इससे फ्यूजन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनती हैं।
- कार्यप्रणाली: ये शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करते हैं जो घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये क्षेत्र डोनट के आकार के चारों ओर लिपटे होते हैं।
- टोकामक की तुलना में फायदे: जैसे- कम बिजली की आवश्यकता; अधिक डिज़ाइन लचीलापन; प्लाज्मा को नियंत्रित करना अधिक आसान।
- उदाहरण: विस्कोन्सिन आदि में हेलिकली सिमेट्रिक एक्सपेरिमेंट (HSX) स्टेलरेटर।



राष्ट्रीय निवेश और अवसरचना कोष (NIIF)

केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय निवेश और अवसरचना कोष (NIIF) की संचालन परिषद की छठी बैठक की अध्यक्षता की।

राष्ट्रीय निवेश और अवसरचना कोष (NIIF) के बारे में:

- इसकी स्थापना 2015 में भारत सरकार द्वारा की गई।
- यह एक सॉवरैन-लिंक्ड वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक (Alternative Asset Manager) है। इसमें भारत सरकार की 49% हिस्सेदारी है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक सहयोग-आधारित निवेश फोरम है।
- इसे एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। यह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) के तहत श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) के रूप में पंजीकृत है।
- इसकी शासकीय परिषद (Governing Council) की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं।
- NIIF के प्रमुख फंड्स:
 - फंड फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर (मास्टर फंड),
 - फंड ऑफ फंड्स (प्राइवेट मार्केट्स फंड),
 - जलवायु और संधारणीयता के लिए फंड तथा भारत-जापान कॉरिडोर फंड (भारत-जापान फंड),
 - ग्रोथ इक्विटी पर केंद्रित फंड (स्ट्रेटेजिक अपॉर्च्युनिटीज फंड)



'अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष' (International Year of the Woman Farmer)

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2026 को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष' घोषित किया है।

- यह संकल्प संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रखा गया और सर्वसम्मति से अपनाया गया।
- उद्देश्य:
 - खाद्य सुरक्षा, पोषण और गरीबी उन्मूलन में महिला कृषकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना।
 - लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना।

सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व



भगवान बिरसा मुंडा (1875-1900)

प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

बिरसा मुंडा के बारे में

- उनका जन्म झारखंड के छोटानागपुर पठार में स्थित उलीहातु गांव में हुआ था।
- उनका संबंध मुंडा जनजाति से था। उन्हें 'धरती आबा' (धरती का पिता) के नाम से भी जाना जाता है।

योगदान

- मुंडा विद्रोह/ उलगुलान (महाविप्लव), 1899 और 1900 के बीच: यह ब्रिटिश शासन और उनकी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनजातीय विद्रोह था।
- उन्होंने बिरसाइट के नाम से एक नए संप्रदाय की स्थापना की।
- शराबखोरी, जादू-टोना और अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाया। लोगों में स्वच्छता के बारे में जागरूकता का प्रसार किया।
- मूल्य: बहादुरी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, न्याय, नेतृत्व आदि।

